न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–नरसिंहपुर

1– अनुरुद्ध सिंह पुत्र स्व. श्री नारायण सिंह
2– गोविन्द सिंह पुत्र स्व. श्री नारायण सिंह
3– रेवती बाई पुत्री स्व. श्री नारायण सिंह
4– जानकीबाई पुत्री स्व. श्री नारायण सिंह
5– बिट्टी बाई उर्फ गायत्री पुत्री स्व. श्री नारायण सिंह
6– श्रीमती सरजू बाई बेवा स्व. श्री नारायण सिंह
निवासीगण–ग्राम सहावन तहसील गाडरबाडो जिला – नरसिंहपुर (म.प्र.)

...... आवेदकगण

विरूद्ध

1– बन्दोबस्त आयुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी (सी.) मध्य प्रदेश
2– म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला नरसिंहपुर

...... अनावेदकगण

न्यायालय बन्दोबस्त आयुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी (सीलिंग) मध्य प्रदेश ग्वालियर द्वारा पृष्ठांकन क्रमांक 293/बन्दो.आयुक्त/रीडर/16 में पारित आदेश दिनांक 25.02.2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय बन्दोबस्त आयुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी (सीलिंग) मध्य प्रदेश ग्वालियर के द्वारा एक सूचना पत्र आवेदकगण को पंजीकृत डाक से मुआवजा सिलिंग प्रकरण क्रमांक 19/सी/83–84 के संबंध में जारी किया है।

2– यहकि, उक्त सूचना पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दोबस्त आयुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी (सीलिंग) मध्य प्रदेश ग्वालियर के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 136/सी/75–76 आदेश दिनांक 02.02.1984 द्वारा धारा की कुल 12.84 एकड भूमि अतिशेष घोषित की गयी थी जिसमें ग्राम पुनोर के सर्वे क्रमांक 303 रकवा 8.67 एकड़, सर्वे नं. 454 मि रकवा 3.17 एकड़ कुल रकवा 11.84 एकड़ तथा तहसील गाडर बाड़ा का ग्राम सहावन का सर्वे नं. 465/4 रकवा 1.00 एकड़ भूमि सम्मिलित थी।

3– यहकि, मध्य प्रदेश कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम 1960 की धारा 13 ए नियम–5 के अन्तर्गत 3,67,900/– की 1/2 राशि 1,83,950/– रूपये एवं अधिनियम की धारा 13ए नियम–3 (तीन) के तहत् लाभ की संगणित पर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1132/एक/2016 जिला–नरसिंहपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22.5.16	यह निगरानी आवेदक द्वारा बंदौबस्त आयुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी (सीलिंग) मध्य प्रदेश ग्वालियर द्वारा पृष्ठांकन क्रमांक 293/बंदो.आयुक्त/रीडर/16 दिनांक 25.02.2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि बंदौबस्त आयुक्त के पत्र के अनुसार सीलिंग प्रकरण क्रमांक 136/सी/75–76 आदेश दिनांक 02.02.1984 द्वारा धारक की कुल 12.84 एकड़ भूमि अतिशेष घोषित की गयी थी जिसमें ग्राम पुनौर के सर्वे नं. 303 रकवा 8.67 एकड़, सर्वे क्रमांक 454 मी. रकवा 3.17 एकड़ कुल रकवा 11.84 एकड़ तथा तहसील गाडरबाड़ा का ग्राम सहावन का सर्वे क्रमांक 465/4 रकवा 1.00 एकड़ भूमि सम्मिलित थे। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश कृषि खातो की अधिकतम सीमा अधिनियम 1960 की धारा 13 ए नियम 5 के अन्तर्गत 3,67,900 की 1/2 राशि 1,83,950 रूपये एवं अधिनियम की धारा 13 ए नियम (तीन) के तहत् लाभ की संगणित राशि पर 3 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज 4,58,314 रूपये हुये इस प्रकार धारक से कुल राशि	

6,42,264 रूपये रूपये वसूल योग्य है। धारक की कुल 12.84 एकड़ का मुआवजा द्वितीय सूची के अनुसार 1174 रूपये निर्धारित हुआ है इस प्रकार 6.41.090 रूपये राशि धारक से वसूल योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय की इस कार्यवाही के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओ पर आवेदक अभिभाषक के तर्क सुने एवं उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया।

4– आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय बंदौबस्त आयुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी (सीलिंग) मध्य प्रदेश ग्वालियर द्वारा आवेदक को सुनवाई एवं साक्ष्य का पर्याप्त अवसर दिये बिना ही आदेश पारित किया है ऐसा आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अभिभाषक द्वारा यह भी बताया गया कि उनकी उपरोक्त भूमि सीलिंग में अतिशेष घोषित हुयी थी जिसपर शासन द्वारा यथाशीघ्र कब्जा लिया गया था ऐसी स्थिति में उपरोक्त भूमि का उपयोग आवेदक द्वारा नही किया गया। ऐसी स्थिति में उसपर लाभ का संगणित कर जो राशि आरोपित की गयी है वह वैधानिक दृष्टि से उचित नही है और ऐसी राशि की वसूली आवेदक से नहीं की जा सकती अंत में उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने एवं अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा जारी पत्र दिनांक 25.02.016 अपास्त किये जाने का निवेदन

किया गया।

5– आवेदक द्वारा किये गये तर्को एवं उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय बंदौबस्त आयुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी (सीलिंग) मध्य प्रदेश ग्वालियर द्वारा जारी पत्र पृष्ठांकन क्रमांक 293/बन्दौ.आयुक्त/रीडर/16 दिनांक 25.02.2016 में प्रार्थी पर लाभ की संगठित राशि 6,41,090 वसूली के संबंध में जारी किया है। जबकि उक्त पत्र जारी किये जाने से पूर्व आवेदक को किसी भी प्रकार से समक्ष में सुनवाई का अवसर ही नहीं दिया गया है इस संबंध में 2007 (2) एस.एस.सी 181, 2008 (14) एस.एस.सी 151 तथा ए.आई.आर 1991 एस.सी. 1216, ए.आई.आर 1981 एस.सी. 136 में सिद्धांत दिया गया है कि सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने का कानूनी उपबंध नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत लागू होगा। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कार्यवाही किये जाने से पूर्व आवेदक को समक्ष में सुनवाई अथवा दस्तावेज प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिये बिना ही आदेश पारित किया है जो विधिवत् एवं उचित नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य नही है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर बंदौबस्त आयुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी (सीलिंग) मध्य प्रदेश ग्वालियर द्वारा पृष्ठांकन क्रमांक 293/बंदो.आयुक्त/रीडर/16 दिनांक 25.02.2016 अपास्त किया जाता है।

सदस्य.